न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या ~~108/2014~~ 51/2018

1 सलोचना पत्नी बलबीर।
2 राकेश कुमार पुत्र बलबीर समस्त जाति जाट निवासीगण नेतड़वास तहसील धोद जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 महेन्द्र पुत्र सुरजा।
2 काना पुत्र खुमाणा।
3 मुकेश पुत्र बलबीर।
4 प्रिंयका पुत्री बलबीर।
5 भागीरथ पुत्र सुरजा।
6 पेपाराम पुत्र सुरजा।
7 तिजू पत्नी सुरजा समस्त जाति जाट निवासीगण नेतड़वास तहसील धोद जिला सीकर।
8 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा नागवा तहसील धोद जिला सीकर।
9 तहसीलदार तहसील धोद जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय धोद मुकाम सीकर दावा संख्या 46/2017 बउनवानी महेन्द्र बनाम काना आदि दिनांकित 15.05.2018

उपस्थिति :

1. श्री सोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री नरेन्द्र कुमार पारिक, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री जितेन्द्र वर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
4. श्री रतनलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 19.02.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद द्वारा मुकदमा नम्बर 46/2017 में पारित निर्णय दिनांक 15.05.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट महेन्द्र की ओर से ग्राम नेतड़वास तहसील धोद की भूमि खसरा नम्बर 158,159,160,164 के सन्दर्भ में विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक डिक्री जारी की है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम कर पत्रावली साक्ष्य में चल रही थी। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया की पालना किये बिना अपीलांट की सहमती के बिना विचाराधीन प्राथमिक डिक्री जारी कर दी है। विचारण का न्यायालय का यह निर्णय विधि विरूद्व है। अपील स्वीकार कर प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रति प्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में पक्षकारो के मध्य विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया था। अपीलांट द्वारा जवाब दावे में पक्षकारों के हिस्से के सन्दर्भ में किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नही की गई है। इस पर विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय से बाई मिट्स एण्ड बाउन्डस विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय में पक्षकारो के मध्य विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया था। अपीलांट द्वारा जवाब दावे में पक्षकारों के हिस्से के सन्दर्भ में किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नही की गई है। इस पर विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय से बाई मिट्स एण्ड बाउन्डस विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है।

यहां यह भी विचारणीय है कि अपीलांट द्वारा पूर्व में बाहमी विभाजन का कोई कथन जवाब दावे में नही किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना समुचित प्रतीत नही होता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर